

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश विश्‍नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 16/2020

प्रार्थी—

राजस्थान सरकार जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण—

1. ओम प्रकाश पुत्र मोहन सिंह जाति राजपुरोहित निवासी महाबार जिला बाड़मेर (मैसर्स भंवरिया होटल, पचपदरा, जिला बाड़मेर का मैनेजर)
2. मोहन सिंह पुत्र जुगत सिंह जाति राजपुरोहित निवासी महाबार जिला बाड़मेर (मैसर्स भंवरिया होटल, पचपदरा, जिला बाड़मेर का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य
सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री गोपालसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 02.11.2021



1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रार्थी ने दौराने गश्त दिनांक 04.09.2019 को अप्रार्थी संख्या 2 के प्रतिष्ठान मैसर्स भंवरिया होटल, पचपदरा, जिला बाड़मेर में चैक करने पर एक फ्रीज में कुल 05 किग्रा विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ दही (खुला) भरा हुआ पाया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 800 ग्राम दही (खुला) वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या पी-1080 अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ दही (खुला) का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ दही (खुला) का नमूना अवमानक (Sub-standard) पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता अपने जवाब में निवेदन किया कि उक्त दही (खुला) में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई थी तथा उक्त खाद्य पदार्थ के गुणवत्ता एवं मापदण्ड में कोई कमी नहीं थी। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त दही (खुला) के निर्माण में किसी प्रकार की अनियमितता एवं लापरवाही नहीं बरती गई थी। तेज गर्मियों के मौसम के दौरान गर्मी अधिक होने के कारण एवं गांव में अक्सर विद्युत कटौती के कारण टेम्परेचर मैटेन नहीं होने से विभिन्न खाद्य मानकों में मामूली सी भिन्नता आई है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि उक्त दही (खुला) किसी भी प्रकार से मानव जीवन के उपयोग में हानिकारक व प्राणघातक नहीं है। लिहाजा उक्त परिवाद निरस्त करने का आदेश फरमावें।

3. हमने प्रस्तुत परिवाद पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 2 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 16.09.2019 में उक्त नमूना अवमानक (Sub-standard) खाद्य का पाया गया है। जांच रिपोर्ट अनुसार Milk Fat मानक स्तर न्यूनतम 4.50% के मुकाबले में 2.17% पाया गया है तथा B.R. Reading of Extracted Fat at 40 degree C जिसका मानक स्तर 40-44 के मुकाबले 43.04 जो कि मानक स्तर से कम है। इस पर अप्रार्थीगण को पदाभिहित अधिकारी द्वारा नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया इसके बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब/उजर प्रस्तुत नहीं किया गया। यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थीगण को तलब किया गया। इस पर अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में दही (खुला) में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई थी तथा उक्त खाद्य पदार्थ के गुणवत्ता एवं मापदण्ड में कोई कमी नहीं थी। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त दही (खुला) के निर्माण में किसी प्रकार की अनियमितता एवं लापरवाही नहीं बरती गई थी। तेज गर्मियों के मौसम के दौरान गर्मी अधिक होने के कारण एवं गांव में अक्सर विद्युत कटौती के कारण टेम्परेचर मैटेन नहीं होने से विभिन्न खाद्य मानकों में मामूली सी भिन्नता आई है। साथ ही




न्याय विर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

यह भी निवेदन किया कि उक्त दही (खुला) किसी भी प्रकार से मानव जीवन के उपयोग में हानिकारक व प्राणघातक नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा अपने प्रतिष्ठान से विक्रय हेतु रखे गये खाद्य पदार्थ की मानकता के स्तर का नहीं होने से उसकी गुणवत्ता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थीगण का है किन्तु अप्रार्थी ने अपने जवाब में इस दायित्व से विमुख होने का प्रयास किया है। लिहाजा अप्रार्थी के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरुद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से रूपये 10,000/- का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।
5. आदेश आज दिनांक 02.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(ओम प्रकाश विशनोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर